कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2018/ 2131 लखनऊःदिनांक 26 मई, 2018

यू0पी0 नीट पी0जी0 2018 की राजकीय एवं निजी क्षेत्र की एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों हेतु अतिरिक्त मॉप–अप राउण्ड की समय–सारिणी तथा आवश्यक दिशा–निर्देश

रिट याचिका संख्या–(सिविल) 556/2018 यू0पी0 अनऐडेड मेडिकल कालेजेज वेलफेयर एसोसिएशन बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 25.05.2018 के अनुपालन में अतिरिक्त मॉप–अप राउण्ड की समय–सारिणी निम्नवत निर्धारित की जाती हैः–

अतिरिक्त मॉपअप राउण्ड हेतु ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की तिथि	दिनांक 28 मई, 2018 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से दिनांक 29 मई, 2018 को अपरान्ह 04.00 बजे तक
सिक्योरिटी धनराशि जमा करने की तिथि	दिनांक 28 मई, 2018 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से दिनांक 29 मई, 2018 को अपरान्ह 04.00 बजे तक
मेरिट लिस्ट जारी किये जाने की तिथि	दिनांक 29 मई, 2018
राजकीय क्षेत्र की सीटों पर आवंटन तथा प्रवेश की तिथि	30 मई, 2018, प्रातः 10.00 बजे से
निजी क्षेत्र की सीटों पर आवंटन तथा प्रवेश की तिथि	31 मई, 2018, प्रातः 09.00 बजे से

- अतिरिक्त माप–अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु नीट पी0जी0–2018 के अर्ह अभ्यर्थियों को रू0 1000/– पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा करते हुये एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- आल इण्डिया तथा प्रदेश की विभिन्न काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी अतिरिक्त माप–अप राउण्ड हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया On Spot पूर्ण की जायेगी।
- अतिरिक्त मॉप–अप राउण्ड का आयोजन **कलाम सेण्टर, के0जी0एम0यू0 लखनऊ** में किया जायेगा।
- अतिरिक्त मॉप–अप राउण्ड के समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनके अभ्यर्थन पर कोई भी विचार नही किया जायेगा।
- राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु रू0 30,000/– तथा निजी क्षेत्र की सीटों हेतु रू0 2,00,000/– की सिक्योरिटी धनराशि ऑन लाईन/बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (Director General Medical Education & Training, U.P.) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में नकद (Cash) नही जमा की जायेगी।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सिक्योरिटी धनराशि पूर्व में जमा है उन्हे सिक्योरिटी धनराशि जमा नही करनी होगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियो को प्रवेश के समय ही शिक्षण शुल्क के रूप में रू0 02 लाख का बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (Director General Medical Education & Training, U.P.) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, जमा करना अनिवार्य होगा।
- प्रवेश के उपरान्त अन्तर की धनराशि (Difference Money) अभ्यर्थी द्वारा आवंटित कालेज में जमा की जायेगी।
- विस्तृत विवरण हेतु महानिदेशालय की वेबसाईट ***www.updgme.in*** पर उपलब्ध नीट पी0जी0 2018 से सम्बन्धित शासनादेश तथा ब्रोशर का स्वयं अवलोकन करें।

महानिदेशक